प्रेस विज्ञप्ति

कृषि में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने पुनर्वित्त की दरें कम कीं

मुंबई, 14 अगस्त 2014

नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से बैंकों को दी जाने वाली अपनी दीर्घावधि पुनर्वित्त सुविधा (3-5 वर्ष और 5 वर्ष)पर ब्याज दर को 20 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) से कम किया और मध्यावधि पुनर्वित्त सुविधा (18 महीने और 3 वर्ष) पर ब्याज दर को 50 बेसिस प्वाइंट से घटा दिया है.

पुनर्वित्त पर ब्याज की नई दर अब 5 वर्षों के लिए 9.30% होगी और 3-5 वर्ष की अवधि के लिए 9.50% होगी तथा 18 महीनों से 3 वर्ष की अवधि के लिए 9.5% होगी.

इन घटी हुई ब्याज दरों के अलावा, नाबार्ड कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नवोन्मेषी गतिविधियों के लिए 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती करेगा. अन्य गतिविधियों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत उत्पादन जैसे पॉली हाउस, पानी की बचत करने वाली ड्रिप और छिड़काव सुविधाएं, प्रिसिजन फार्मिंग आदि शामिल हैं.

एक ही आहरण में रु.500 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त करने वाले बैंकों को 10 बीपीएस की और अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी.

उपर्युक्त के अलावा, नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अन्य निर्धारित गतिविधियों (फसल ऋणों से इतर) जैसे बुनकर सहकारी समितियों, हथकरघा विकास कारपोरेशनों, फसलों के विपणन आदि के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि ऋणों पर ब्याज दर को 50 बीपीएस से घटा दिया है. अब संशोधित ब्याज दर 10% प्रति वर्ष होगी.

पुनर्वित्त पर नई ब्याज दरें 14 अगस्त 2014 से लागू होंगी.